

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2920 का उत्तर
ट्रेनों में स्थापित जैव-शौचालय

2920. श्री बी. के. पार्थसारथी:

श्री मोहिबुल्लाह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में रेल सेवा के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत रेलगाड़ियों में स्थापित जैव-शौचालय की संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान रेलगाड़ियों में जैव-शौचालय स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (ग) यदि हाँ, तो उनका लक्ष्य, श्रेणियों सहित क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार ने उन रेलगाड़ियों में रेल पटरियों पर खुले में शौच को रोकने के लिए कोई अंतरिम तंत्र स्थापित किया है जिनमें अभी तक जैव-शौचालय नहीं लगे हैं;
- (ङ) यदि हाँ, तो ऐसे तंत्रों/पहलों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (च) क्या सरकार ने गैर-जैव-निम्नीकरणीय कचरे के कारण जैव-शौचालय में रुकावट को रोकने के लिए रेलगाड़ियों के शौचालयों में कचरा पात्र के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कोई जागरूकता अभियान शुरू किया है; और
- (छ) यदि हाँ, तो ऐसे अभियानों के प्रसार और कवरेज के तरीकों सहित इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): मानव अपशिष्ट को सीधे रेल की पटरियों पर गिरने से रोकने के लिए और स्वच्छता बनाए रखने एवं सफाई में सुधार के लिए, भारतीय रेल ने सवारी डिब्बों की जीरो डिस्चार्ज बायो-टॉयलेट प्रणाली अपनाई है। भारतीय रेल ने इस कार्य को मिशन मोड पर शुरू किया है।

वर्तमान में, सभी यात्रीवाहक मुख्य लाइन वाले सवारी डिब्बे के शौचालयों में बायो-टॉयलेट लगाए गए हैं। इससे मानव अपशिष्ट के कारण रेल फिटिंग में होने वाले क्षरण को भी रोक है।

बायो-टॉयलेट की व्यवस्था का विवरण (30.06.2025 तक) निम्नानुसार है:

अवधि	फिट किए गए बायो-टॉयलेट्स की सं.
2004-14	केवल 9,587
2014-25	3,33,191 (34 गुना से अधिक)

बायो-टॉयलेट की उचित कार्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष “स्वच्छ भारत अभियान” के दौरान जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि सभी यात्रियों को सवारी डिब्बों और शौचालयों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, बायो-टॉयलेट्स की कार्यात्मकता और नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे के कारण उत्पन्न अवरोध की सफाई के बारे में यात्रियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- शौचालयों के अंदर सूचनात्मक स्टिकर और नोटिस लगाए गए हैं, जिनमें क्या करें और क्या न करें, अर्थात् बायो-टॉयलेट में कचरा/प्लास्टिक की बोतलें आदि न फेंके जाने की जानकारी दी गई है।
- कचरे के उचित निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए सवारी डिब्बों के सभी शौचालयों में डस्टबिन उपलब्ध कराए गए हैं।
- बायो-टॉयलेट के उपयोग के निर्देशों पर प्रकाश डालते हुए वीडियो क्लिप और जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से ऑडियो घोषणाएँ प्रसारित की जाती हैं।
- गाड़ी के चलने के दौरान सवारी डिब्बों के रखरखाव की सुविधा प्रदान करने के लिए मार्ग में साफ-सफाई के लिए ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवा (ओबीएचएस) और गाड़ी सफाई स्टेशन (सीटीएस) सेवाओं की भी व्यवस्था है।
- बायो-टॉयलेट सहित सवारी डिब्बों का अनुरक्षण विनिर्दिष्ट विस्तृत दिशानिर्देशों और निर्धारित मानकों के अनुसार कोचिंग डिपो/टर्मिनलों पर किया जाता है।

स्वच्छता एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय रेल रेलगाड़ियों को बेहतर स्थिति में और साफ रखने के लिए निरंतर प्रयास करती है।

सभी सवारी डिब्बों में बायो-टॉयलेट्स लगाने के परिणामस्वरूप रेलपथों और विशेषकर रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता के स्तर में व्यापक बदलाव आया है, जहां अब मानव मल की दुर्गंध महसूस नहीं होती है/दृश्य नहीं दिखता है। इसके परिणामस्वरूप रोलिंग स्टॉक और रेल पटरियों की संरक्षा में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि रेल पटरियों/रोलिंग स्टॉक के अंडर-गियर पर मानव अपशिष्ट/छींटे न होने से रखरखाव कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।
